(c) Whether it is also a fact that there federations have also recommended to Government for a national survey of wheat-based food industry; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) to (d) Recently some suggestions have been received only from Confederation of Indian Food Trade & Industry, New Delhi in connection with development of Agro-Food Industry Development policy during 8th Five Year Plan, which *inter-alia* includes establishment of a National Wheat Board for wheat development relating to its millling and processing etc. and survey of wheat based food industry. These would be given consideration at the time of formulation of 8th Five Year Plan.

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid.

The Deputy Chairman in the Chair

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, कल से एक संसद सदस्य गायब है, उनका पता नहीं है... **(व्यवधान)**

उपसभापति: हमारे हाउस के जो संसद सदस्य खो गए थे वह तो आ गए। लोकसभा के सदस्यों की बात लोकसभा में होगी। राम अवधेश सिंह जी पिछली शाम को आ गए। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में लोकसभा के सदस्य पूछें... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): जो संसद सदस्य गायब हैं, उनके बारे में सरकार को बयान देना चाहिए यहां पर, यह हमारी मांग है... **(व्यवधान)**

उपसभापति: मैंने कहा कि वह लोकसभा में पूछें... **(व्यवधान)**। पहले पेपर्स ले होने दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सांसद गायब हैं, यह गंभीर मामला है... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish my regular business. (*Interruptions*) let me finish my regular business first Yes, Mr. Devi Lal.

I. Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishad (Temporary supersession) second Amendment Act, 1989 (No. 4 of 1989).

II. Report and Accounts (1988-89) of the Coconut Development Board, Cochin and related papers.

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद् (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 248/89]

II. नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (4) और धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए नारियल विकास बोर्ड, कोचीन का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 76/89]

(ii) 1988-89 के वर्ष के दौरान नारियल विकास बोर्ड के क्रियाकलाप और उपलब्धियां।

(iii) 1988-89 के वर्ष के लिए नारियल विकास बोर्ड के कार्यकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की प्रगति का विवरण। [पुस्तकालय में रखे गए। II और III के लिए **देखिए** सं० एल० टी० 75/89]

I. Report and Accounts (1988-89) of the Projects and Development India Limited, Sindri and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Bombay and related papers.